न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 178 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 21.08.2015

1. श्यामलाल पिता भंवरलाल जाति तेली निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगाबाई पत्नि लालाराम जाति तेली निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. बालुराम पिता डालु जाति भोई निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 04/2015 रेवेन्यू वाद निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.06.2015

उपस्थित– 1. कृष्णगोपाल व्यास –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. गोविन्दवल्लभ त्रिपाटी–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक 25.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट वादी मौजा बस्सी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 633/3 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित है। जो मीन नम्बर होने से वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे 633 के रूप मे दर्ज की गई। मौजा बस्सी की आराजी नम्बर 633/3 रकबा 0.05 हैक्टेयर की तत्कालीन खातेदार श्यामलाल तेली से बिल एवज 6000/– रू. मे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.07.1994 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तभी से रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी रेस्पोडेन्ट ने असल दस्तावेज विक्रय पत्र स्वंय के मकान पर हुई चोरी मे चले जाने से राजस्व अभिलेख मे दर्ज कराने की कार्यवाही नही करा पाया। श्यामलाल अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी नम्बर 633/3 विक्रय दिनांक 19.07.1994 को रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर देने के बाद उक्त आराजी मे उसका कोई अधिकार शेष नही रहता है।

दिनांक 30.05.2005 को उक्त आराजी का विक्रय अपीलान्ट नम्बर 2 को कर दिया। जिससे अपीलान्ट नम्बर 1 द्वारा अपीलान्ट नम्बर 2 को किया गया विक्रय विधि विरूद्ध होकर प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। उक्त दस्तावेज को प्रभावशून्य घोषित किया जाकर उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन नोटिस जारी किये गये। आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.06.2015 नियत की गई जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की किसी प्रकार से कोई तामील नही हुई। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प रोलाहेडा मे उक्त पत्रावली को नियत कर दी गई। जिसमे बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 कालस म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ मय शपथ पत्र अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किय गये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपील ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना एक पक्षीय कार्यवाही किये लोक अदालत के तहत बिना लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत पारित किया गया है जो विधिनुसार नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पंजीकृत बहनामे के अनुसार होने से विधिनुसार होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर व सारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र की किसी प्रकार की तामील नही हुई। बिना सूचना दिये अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर बिना साक्ष्य व

बिना सबूत के रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता का अपहरण कर निर्णय पारित किया जाना विदित होता है। जो संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीण स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.15 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रमि कार्यवाही हेतु लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़